



2026:AHC:34253

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या-8908 सन् 2024

विवेक कुमार भारती

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अरविंद कुमार सिंह, रमेश राय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस० के० पाल को सुना।
2. चूंकि दोनों पक्षों के बीच प्रतिवाद और प्रत्युत्तर शपथपत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है और विपक्षी आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए रिट याचिका का निर्णय सुरुआती स्तर पर किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया था, उसे 19.12.2022 को कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया था और उसका कार्यकाल समय-समय पर नवीनीकृत किया गया था, हालांकि, बिना किसी आधार के उसे कर्तव्यों का पालन करने से रोक दिया गया है।
4. बिना किसी आदेश के याचिकाकर्ता को कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के संबंध में प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई पर प्रश्न उठाते हुए, यह रिट याचिका दाखिल की गई है।
5. इस न्यायालय ने 31.05.2024 को रिट याचिका पर सुनवाई की और प्रत्यर्थीगण से जवाब मांगा।
6. प्रत्यर्थी संख्या 3, 4 और 5 की ओर से दिनांकित 29.07.2022 को नायब तहसीलदार, तहसील फूलपुर, आजमगढ़ द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने का प्रत्यर्थीगण का कार्य एक क्षण के लिए भी उचित

2

नहीं ठहराया जा सकता। उक्त निवेदन को विस्तार से बताते हुए, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई है और यद्यपि नियुक्ति पत्र प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा एक सेवा प्रदाता होने के नाते जारी किया गया है, फिर भी इससे राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के बीच स्वामी-सेवक का संबंध किसी भी प्रकार से कमजोर या समाप्त नहीं होता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि मालिक ने मांग की थी, तो कम से कम याचिकाकर्ता को नियुक्त करने वाली सेवा को सेवामुक्त करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था और याचिकाकर्ता को सुना जाना चाहिए था तथा हर हाल में उसकी बात पर विचार किया जाना चाहिए था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. श्री एस० के० पाल, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्त ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी चाहे जो भी हो, सेवा प्रदाता, प्रत्यर्थी संख्या 6 है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने आगे न्यायालय का ध्यान पैरा 5 और पैरा 6 में उल्लिखित कथनों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति मेसर्स फाल्गुन गिरि सिन्धोरिटी सर्विसेज, नोएडा द्वारा उनके सेवा प्रदाता के रूप में 02.11.2024/15.03.2024 को की गई थी और यह भी तथ्य है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ तकनीकी जन शक्ति के पद पर कार्यरत रहते हुए अभिलेख में हेरफेर करने वाले अभिवचन के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

9. मैंने बार की ओर से दी गई दलील सुनी है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

10. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता स्वयं को कंप्यूटर ऑपरेटर बताता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से नियुक्ति की प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर, याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया कि नियुक्ति संविदा आधार पर है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से की गई है।

11. अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों पर सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को सेवा प्रदाता द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है और दिनांकित 05.11.2022 की पेपर बुक के पृष्ठ 31 पर एक दस्तावेज दर्शाता है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर) का एक पत्र ए० एम० एंड संस नामक कंपनी को संबोधित है और इसमें याचिकाकर्ता का नाम अंकित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति का कोई नियुक्ति आदेश मौजूद नहीं है और याचिकाकर्ता की नियुक्ति संविदात्मक है तथा अभिलेखों में

3

ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि यह नियुक्ति स्थायी है। चूंकि अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति स्थायी प्रकृति नहीं है, इसलिए नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा नियम याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होते हैं।

12. उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय नियुक्ति के लिए कोई सकारात्मक निर्देश जारी करना उचित नहीं समझता है, विशेष रूप से जब नियुक्ति संविदात्मक प्रकृति की हो, हालांकि, बिना नोटिस दिए बर्खास्तगी के संबंध में, याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध उपाय कहीं और है।

13. तदनुसार, हस्तक्षेप का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है और याचिकाकर्ता को विधि के तहत उपलब्ध विधिक उपायों का लाभ उठाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

16 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"